राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 795/2025

सुरज्ञान यादव

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये सचिव, महिला एवं बाल विकास, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं, महिला एवं बाल विकास विभाग एवं पंचायती राज (आईसीडीएस), गांधी नगर, जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक, निदेशालय समेकित बाल विकास विभाग, जयपुर।
4. किरण मीणा, सीडीपीओ, टोंक ग्रामीण, टोंक।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 20.01.2025
आदेश की दिनांक : 10.02.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अभिमन्यू सिंह यदूवंशी, अधिवक्ता

समक्षः– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी ने स्थानान्तरण आदेश दिनांक 15.01.2025 के विरुद्ध अपील दायर की गई है, जिसके तहत अपीलार्थी को CDPO (बाल विकास परियोजना अधिकारी), जालसू, जयपुर से CDPO, थानागाजी, अलवर में स्थानांतरित किया गया है। उसी दिन, दिनांक 15.01.2025 के आदेश के अनुसार अपीलार्थी को फिर से थानागाजी से मुंडावर, अलवर में स्थानांतरित कर दिया गया। (अनुलग्नक–1) अपीलार्थी को शुरू में सीडीपीओ के रूप में नियुक्त किया गया था। अपीलार्थी को दिनांक 20.07.2022 के आदेश द्वारा गोविंदगढ़–I, जयपुर में स्थानांतरित कर दिया गया था। (अनुलग्नक–2) इसके बाद अपीलार्थी को दिनांक 22.02.2024 के आदेश के तहत गोविंदगढ़ जालसू जयपुर से पुनः स्थानांतरित कर दिया गया। (अनुलग्नक–3) अपीलार्थी के स्थान पर प्रत्यर्थी संख्या 4 का स्थानांतरण कर दिया गया है। अपीलार्थी का स्थानांतरण स्थान वर्तमान पदस्थापन स्थान से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। अपीलार्थी को 8 महीने की छोटी सी अवधि में ही स्थानांतरित कर दिया गया। प्रत्यर्थी विभाग ने राजस्थान सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का पालन किए बिना अपीलार्थी का स्थानांतरण किया है। पंचायती राज विभाग ने 11.06.

2018 को आदेश जारी कर स्पष्ट किया है कि किसी व्यक्ति को अन्य जिले में स्थानांतरित करते समय पंचायती राज विभाग की अनुमति की आवश्यकता होती है, लेकिन इस मामले में ऐसी कोई अनुमति नहीं ली गई है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी के संबंध में जारी आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) को अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को सभी परिणामी लाभों के साथ वर्तमान पदस्थापन स्थान पर कार्यरत रखे जाने के निर्देश दिए जावे।

हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में स्थानान्तरण आदेश दिनांक 15.01.2025 को चुनौती दी गई है। अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग में बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद पर कार्यरत है। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 15.01.2025 के द्वारा जालसू, जयपुर से थानागाजी, अलवर में स्थानांतरित किया गया। (अनुलग्नक–1) उसी दिन, आदेश दिनांक 15.01.2025 द्वारा अपीलार्थी को फिर से थानागाजी में स्थानान्तराधीन मुंडावर, अलवर में स्थानांतरित कर दिया गया। बहस के दौरान अपीलार्थी द्वारा निवेदन किया गया है कि अपीलार्थी को वर्तमान पद पर करीब 8 माह ही हुए है और 8 माह की अल्पावधि में ही अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है। अपीलार्थी ने वर्तमान पदस्थापन स्थान पर फरवरी 2024 से कार्यरत है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन एवं मनन किया। आलौच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने बाल विकास परियोजना अधिकारी थानागाजी के पद पर कार्यग्रहण नहीं किया था एवं इसमें निजी प्रत्यर्थी को समंजित करने का तथ्य प्रमाणित नहीं होता है। स्थानान्तरण सेवा का अभिन्न अंग है एवं नियोक्ता को यह अधिकार है कि वह कार्मिकों के सेवाए प्रशासनिक आवश्यकता के अनुभव लेवे। आलौच्य स्थानान्तरण आदेश में हम कोई नियमों का उल्लघंन नहीं पाते है। अतः अपील सारहीन एवं बलहीन होने के आधार पर खारिज की जाकर स्थगन प्रार्थना पत्र अन्य लम्बित आवेदनो के साथ इसी प्रक्रम पर निस्तारित किए जाते है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)